

**कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती**

पत्रांक सं०: 1480 /12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक 18 / 01 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्चालीसौड़ के बनावां चापडा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका का पत्रांक- 654/FP/UK/ROAD/21335/2016, दिनांक 04.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक 1487/12-1, दिनांक 13.10.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	वांछित सूचना	अनुपालन आख्या
01	It is seen from the proceeding of District level committee meeting 1.525 ha. Area is mentioned instead of 7.152 ha. In the DLC meeting proceedings. Further dare is also not mentioned State Govt. may submit clarification in this regard and submit the correct document.	याचक विभाग द्वारा डी०एल०सी० प्रपत्र में क्षेत्रफल को 1.52 है० के स्थान पर 7.152 है० इंगित कर दिया गया है। उक्त प्रपत्र की प्रति भाग-1 में Additional information के क्रमांक-09 में अपलोड किया जा चुका है एवं प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक -1)
02	It is seen that KML file of 9.70ha. Area found uploaded instead of 14.304 ha. CA area. State Govt. may upload the CA area of 14.30 ha.	उक्त आपत्ति का निराकरण किया जा चुका है। याचक विभाग द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के पैरा-L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित के०एम०एल० फाईल अपलोड की जा चुकी है।
03	As per DSS analysis 1.0 ha. Area found in MDF. State Govt. may submit a field inspection report of DFO regarding the suitability of the area for plantation as per the guidelines. The State Govt. should also submit the species-wise and girth-wies list of trees present in the proposed for CA. In case the area is having destity as per DSS then the DFO may proposed additional degraded forest land in proportion additional degraded forest land in proportion which can accommodate required number of saplings as per CA scheme.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है० तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 है० अर्थात् कुल 14.304 है० चयनित किया गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 है० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक है -2)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(धर्म सिंह भूमि)

वन संरक्षक

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

क्र.सं.	विवरण	विवरण	क्र.सं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail, dfontarhashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-1487/12-1, कोटबंगला, दिनांक/3/10/2023

वन विभाग

डि.नं. 4268
पत्रांक 121
दिनांक 22/12/2023
उत्तराखण्ड

तथा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीरौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक- 653/12-1, दिनांक- 22.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी महोदय के पत्रांक- 654/FP/UK/ROAD/21335/2016, दिनांक- 04.09.2021 से प्रश्नगत प्रकरण में जारी विन्दु संख्या- 05, 08 एवं 09 का निराकरण नहीं किया गया है।

उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विन्दुओं की चाही गई सूचना/आख्या विन्दुवार निम्नानुसार है-

विन्दु संख्या	आपति	आख्या
05	It is seen from the proceeding of District level committee meeting 1.525 ha. Area is mentioned instead of 7.152 ha. In the DLC meeting proceedings. Further date is also not mentioned. State Govt. May submit clarification in this regard and submit the correct document.	याचक विभाग द्वारा डी०एल०सी० प्रपत्र में क्षेत्रफल को 1.52 हे० के स्थान पर 7.152 हे० इंगित की दिया गया है। उक्त प्रपत्र की प्रति भाग-1 में Additional Information के क्रमांक-72 तथा भाग-2 के Additional Information के क्रमांक-09 में अपलोड किया जा चुका है एवं प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
08	It is seen that KML file of 9.70 ha. Area found uploaded instead of 14.304 ha. CA area. State Govt. may upload the CA area of 14.30 ha.	उक्त आपति का निराकरण किया जा चुका है। याचक विभाग द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के पैरा-L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित के०एम०एल० फाईल अपलोड की जा चुकी है।
09	As per DSS analysis 1.0 ha. Area found in MDF. State Government may submit a field inspection report of DFO regarding the suitability of the area for plantation as per the guidelines. The State Government should also submit the species-wise and girth-wies list of tres present in the proposd for CA. In case the area is having destity as per DSS then the DFO may proposed additional degraded forest land in proportion which can accommodate required number of saplings as per CA scheme.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 8.834 हे० तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 हे० अर्थात् कुल 14.304 हे० सपनाित किया गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 हे० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

महोदय
उत्तरकाशी
22/12/23
SA-6

o/c

भवदीय,

(डी०पी० बेलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

Printed by: [illegible]

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसीड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव
FORM-1

(for linear projects)
uttarkashi

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector
Dated-19-07-2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.152 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of construction division public works department...chinyalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in chinyalisour and Barkot tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.152 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoerment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

प्रतिहस्ताकार
(D. विरहचिंकार)
District Collector-uttarkashi


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.


A meeting of the district level committee of uttarkhashi, district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/ D.K. Choudhury I.A.S district magistrate uttarkashi on dated 14.7.16 at uttarkashi, in which application claiming rights in forest land area measuring 7.152. hect for the construction of Bangoan-chajpra-kaslana motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..uttarkashi.....
Dated:.....


डिप्युटी कमिश्नर
(D.K. Choudhury)
District Magistrate-uttarkashi

54.





सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता
प्रमाण पत्र


1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/UK/ROAD/21335/2016
2. परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत बणगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग
3. परियोजना का क्षेत्रफल (उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत) :- 3.417 है०
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत) :- 6.834 है०
5. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- निर्माणा खण्ड लोक निर्माण विभाग ~~चिन्यालीसौड~~
6. वन विभाग का नाम :- उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धरासू रेज के अन्तर्गत चयनित सिविल भूमि ग्राम जेमर खसरा नं० 1 रकवा 1.128 है० खसरा नं० 98 रकवा 0.439 है० खसरा नं० 1778 रकवा 0.582 है० ग्राम बडेथ खसरा नं० 775 रकवा 1.621 है० ग्राम मैनोल खसरा नं० 1089 रकवा 1.469 है० खसरा नं० 4213 रकवा 0.955, खसरा नं० 4496 रकवा 0.439 है०, जिसका कुल रकवा 6.834 है० का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव मे 0.40 से कम प्रतीत होती है तथा प्रस्तावित क्षेत्र मे 1100 पौध प्रति है० की दर से रोपित हो सकते है।


अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।


राजेश्व उपनिरीक्षक
धन 20/11/21
तारीख 3/05/21
जिला उत्तरकाशी


(अनूपल सिंह)
वन विभाग
लीट धारा 21


अ
(अनूपल सिंह)
वन विभाग
धन 20/11/21


वन क्षेत्राधिकारी,
धरासू वनराजि


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी